

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2523/2019

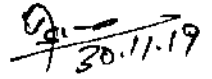
दिनांक : 30.11.19

सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर को दिनांक 10.09.2019 से 14.09.2019 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 15.09.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


30.11.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/2016/11549

दिनांक : 30.11.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 12138 दिनांक 21.11.2019 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर।
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर।


30.11.2019
सहायक रजिस्ट्रार